मानवाधिकार खातिर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त सबिं के लेल मानवाधिकार मानवाधिकार घोषणा के पचासवां वर्षगांठ 1948 .1998

10 दिसंबर, 1948 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाएन गेन आओर घोषित मानवाधिकार प्राक्कथन सबिंह के ओकर उचित सम्मान आओर मानव परिवार के सभे आदिमी के बराबरी के हक ही विश्व समुदाय के अनादी, न्याय आओर शांति के बुनियाद हवे। मानवाधिकार के उल्लंघन हरदम अमानवीय कान के कारणों होखोंना ना के चलते मानवता के अंतः करण दुः खी होखेला। एक आम आदिमी के सबसे बड़ा इच्छा इहे होखेला कि इ दुनिया में ओके भाषण और विचार के आनादी मिले साथ हि इर आओर इच्छा से हो मुक्ति मिले। यदि केहु तानाशाही चाहे दमन के खिलाफ अंतिम हथियार के ख्य में बगावत करे खातिर मनबूर ना होए, त ओकरा खातिर कानून के मार्फत ओकर मानवाधिकार के बचावे के इंतनाम होवे के चाही। इहो नरूरी हवे कि राष्ट्रधे सब के बीच दोस्ती बढ़ाएन नाए। संयुक्त राष्ट्रध के लोगिन आपन चार्टर में मोलिक मानवाधिकार, मानव के सम्मान आओर उपयोगिता तथा आदिमी आओर औरत के बराबर अध्कार खातिर आपन विश्वास जतीलन हउ। साथिह ई लोगिन स्वतंत्राता के माहौल में सामाजिक प्रगति तथा नीवन के स्तर के बढ़ावे के भी दृढ़ निश्चय कएलन ह।

साथ ही सदस्य राष्ट्रः सव संयुक्त राष्ट्रः के मदद से मानवाधिकार आओर मौलिक स्वतंत्राता खातिर लोगिन में मान बद्धावे के भी संकल्प लेलन ह।

ओही खातिर ए संकल्प के पूरा करे के खतिर ई सब अधिकार आओर स्वतंत्राता के समझ सबसे जरूरी बा।

अब, एही खातिर महासभा ई ऐलान करता कि मानवाधिकार के ई घोषणा के सभे लोग आओर सभे राष्ट्र पालन करे। सभे व्यक्ति आओर समाज के सब अंग हरदम इ घोषणा के आपन दिमाग में रखे। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र के लोगिन के बीच चाहे हुनी के अधिकार क्षेत्रा में रहे वाला लोगन के बीच प्रगतिशली कदम या शिक्षा के जरिए इ अधिकार और स्वतंत्राता के प्रति मान नगाएन जाए।

अनुच्छेद १

सबिह लोकानि आजादे जम्मेला आओर ओरिवनियो के बराबर सम्मान आओर अध्कार प्राप्त हवे। ओरिवनियो के पास समझ-बूझ आओर अंतः करण के आवाज होखता आओर हुनको के दोसरा के साथ भाईचारा के वेवहार करे के होखला।

अनुच्छेद 2

बिना कोनो जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आओर दोसर मान्यता, राष्ट्रधैयता चाहे सामाजिक मूल, धन-संपिह, जन्म वा दोसर स्थिति के भेदभाव के सभे कोई घोषणा में लिखन अधिकार आओर आजादी के हकदार होई।

एतवे ना कौनो देश मुलिक या क्षेत्रा के राजनीतिक न्यायिक आओर अन्तर्राष्ट्रपय स्थिति के आधार पर केहू के संग भेदभाव नइस्त्रे कएन जा सकेला। चाहे ओ कौनो स्वतंत्रा, टघ्स्ट चाहे स्वायत्राता के कौनो मानदंद के अंतर्गत आवे वाला संस्था के सदस्य हो।

अनुच्छेद ३

सबिह के नीवन नीए के आनादी आओर अपन सुरक्षा के अधिकार हवे।

अनुच्छेद ४

केंहु के मुलाम बना के नइस्त्रे राखल जा सकेला। कौनो रूप में गुलामी आओर गुलाम सब के व्यापार पर सख्त पाबंदी हवे।

अनुच्छेद 5

काहु के साथ घर, अमानवीय चाहे घृणित वेवहार नइस्त्रे कईल जा सकेला। काहु के न तो सतावल जा सकेला आओर न सजा देल जा सकेला।

अनुच्छेद ६

कानून के सामने सविह के सभे जगह एके आदिमी के रूप में पिहचाने जाए के अधिकार ह।

अनुच्छेद ७

कानून के सामने सभे बराबर हवे आओर कानून से बिना कौनी भेदभाव के समान संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार मिलल हवे। साथिह ए घोषणा के उल्लंघन या भेदभाव होए की रिथित में सबिह के समान संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार है।

अनच्छेद 8

संविधान या कानून से मिलल मौलिक अधिकार के उल्लंघन भइला पर सबिह के कोनों योग्य राष्ट्रीय संगठन से क्षतिपूर्ति प्राप्त करे के अधिकार वा।

अनुच्छेद १

केंहु के विना कोनो कारण के कैद, अज्ञातवास या देशनिकाला नइखे देल जा सकेला।

अनुच्छेद 10

केंहु के खिलाफ अपराधिक मामला होखे चाहे केंकरो अधिकार और कर्तव्य के निर्धारण के सिलसिला में कौनो स्वतंत्रा आओर निष्पक्ष संगठन के सामने निष्पक्ष सुनवाई खातिर समान अधिकार हवे ।

अनुच्छेद ११

कानून के नजर में जब तक ले केंद्र दोषी नइस्त्रे तब तक ले ओके निर्दोष समझे के चाही। चाहे ओकरा के खिलाफ कौनो अपराधिक मामला ही काहे ना चल रहल होए। इ सुनवाई के दरम्यान आपन बचाव के लेल ओकरा पूरा-पूरा हक भी मिलल वा। कौनो राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर कौनो काम के दंडनीय अपराध नइस्त्रे मानल जा रहल होखे तब कोनो आदिमी के ओ काम के खातिर दोषी नइस्त्रे कहन जा सकता।

अनुच्छेद १२

केकरो नीजि नीवन, परिवार, घर तथा पत्रााचार आदि में केकरो दखन करे के अधिकार नईखे ह। सबिह के ए तरह के दखन आओर हमला के विरुष्कानून से संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार ह।

अनुच्छेद 13

सभे लोगिन के आपन मुलुक के सीमा के अंदर घर आओर एक नगह से दोसर नगह नाए के अधिकार हड।

सबिहें के कौनी देश, एइना तक कि आपन देश से हो छोड़े के आओर वापस आवे के अधिकार ह।

अनुच्छेद १४

प्रताइना से बचे खातिर दोसर देश में संरक्षण प्राप्त करे के अधिकार हवे। लेकिन इ अधिकार के उपयोग वैसन प्रताइना में नइस्त्रे कईल जा सकेला जे गैर राजनीतिक अपराध आओर संयुक्त राष्ट्रह के उद्ध्य आओर सिद्ध्त के रिवलाफ कईल गेल काज खातिर मिल रहल होरते।

अनच्छेद १५

सबिहें के राष्ट्रीयता के अधिकार हवे। केंहु के राष्ट्रीयता से वंचित नइस्रो कई ना सकेंबा आओर ना ही राष्ट्रीयता बदले के स्थिति में अधिकारों से वेदरवल कईन ना सकेंबा।

अन्चेद 16

नाति, राष्टियया आऔर धर्म के बंधन से मुक्त कौनी वालिग आदिमी आऔर औरत के वियाह आऔर गृहस्थी वसावे के अधिकार हवे। दुनू के वियाह के समय, गृहस्थ नीवन के दरम्यान आऔर वियाह दूट नाए के वादो वरावरी के अधिकर ह। वियाह दुनू के मर्जी आऔर सहमति से ही होए के चाही। परिवार समान के एगो पाकृतिक और मौलिक इकाई ह। आऔर ओके समान और मुनुक से पूरा संरक्षण पान करे के अधिकार हवे।

अनुच्छेद १७

केहु अकेले चाहे केकरो संगे मिल के संपिध अर्जित कर सकता। केहु के ओकर संपिध से बेदखल नइस्त्रे कईल जा सकत ह।

अनुच्छेद 18

सब लोगिन के सोचे के आओर कौनो धर्म अपनावे के अधिकार हवे तथा ओ आपन धर्म और मान्यता में भी वदलाव ला सकेला। संगे ओ अकेले आओर समूह में कौनो सार्वजनिक या नीजि नगह पर आपन धर्म या विश्वास के पालन, प्रवचन आओर पूजा-पाठ के निरए कर सकेला।

अनुच्छेद १९

सविहें के विचार आओर अभियवित के अधिकार हते। आओर ओकर ई विचार में कौनो दखल ना हो सकता, संगे ओ संचार के कौनो साथन के जरिए कही से कैसनो सूचना आओर विचार प्राप्त कर सकेला।

अनुच्छेद 20

सबिंह के शांतिपूर्ण तरीका से जमा होवे के तथा कोनो संगठन में शामिल होए के अधिकारी ह। तथा केंह्र के कौनो संगठन में जर्बदस्ती शामिल नइखे कराएल जा सकेला।

अनुच्छेद २१

सब लोगीन के सरकार में हिस्सा लेवे के अधिकार हवे न त सीरि-सीर्रे न त आपन मर्जी से चुनन प्रतिनिधि के मार्फत आपन देश के जन सेवा के उपयोग करे के अधिकार हवे। आम लोगीन के इच्छा ही सरकार के ताकत के आधार होखेला आओर इ जन-तन होए वाला स्वतंत्रा आओर निष्पक्ष चुनाव के जरिए, जेकर आयोजन गुप्त मतदान या फेर स्वतंत्रा प्रधि से होखता।

अनुच्छेद 22

समाज के हरेक आदिमी के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार हवे। साथिह देश के आर्थिक, सामाजिक आओर सांस्कृतिक अधिकार के उपयोग करे के अधिकार ह, ने ओकर व्यक्तिह के उपयोग राष्ट्रधय प्रयास आओर अन्तर्राष्ट्रधय सहयोग से ही संभव हो सकेना ने ओ राष्ट्रह के संसाधन ओओर संगठन पर निर्भर करता।

अनुच्छेद 23

सविहें के काम करे के तथा रोजगार चुने के अधिकारों वा औरि वेरोजगारी से ओकर सुरक्षा के गारंटी ओ होखे के चाहीं। इ न्यायसंगत तथा सुविधाजनक परिस्थितियों में काम करे के अधिकार वा।

विना कौनो भेदभाव के समान काज के लेल समान पैसा के अधिकार ह। सबे जे काम करता ओकरा आपन तथा परिवार खातिर एगो न्यायसंगत आओर उचित पैसा पावे के अधिकार ह नेकरा से ह सम्मानननक जिंदगी वसर क सके। एकर अलावे सामाजिक संरक्षण के ओ साधन के उपयोग के ओ अधिकार वा ने ओकर कमाई बढ़ा सके। एकरा सिवा आपन हित के सुरक्षा के खातिर मनदूर संगठन बनावे अथवा मनदूर संगठन में शमिल होखे के अधिकार वा।

अनुच्छेद २४

सवकरा के आराम तथा छुट मनावे के अधिकार वा तथा कान करे के समय के सेहो एक उचित सीमा वा तथा समय-समय पर वेतन सिंहत छुधि के उपभोग करे के अधिकारो वा।

अनुच्छेद 25

सविहें के आपन तथा आपन परिवार के स्वास्थ्य आओर कुशलता खातिर एक उचित स्तर पर जीवन-यापन के ठीक-ठीक इंतजाम होखे के चाही। बढ़िया जीवन-स्तर होखे खातिर ओकनि के भोजन, कपड़ा, घर, उचित इलाज आओर आवश्यक सामाजिक सेवा ओ शामिल ह। एकरा अलावे बेरोजगारी, बिमारी, अपगंता, वैधव्य, बुद्धारी एवं ऐसन हालत जे पर ओकर नियंत्राण नइखे, ओ से ओकरा सुरक्षा पावे के अधिकार हड। औरत और बच्चा के अलगे सुविधा आओर सहायता पावे के अधिकार वा। सबिहें बच्चन के चाहे ओकर जन्म कानूनी वियाह के अन्तर्गत भईल हो चाहे विना वियाह के, समाजिक सुरक्षा मिले के चाही।

अनुच्छेद २६

सर्व के शिक्षा प्राप्त करे के अधिकार वा, कम से कम प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा तड मुघ्त होखे के चाही। तकनीकी आओर व्यवसायिक शिक्षा सबहु के मिले तथा योग्यता के आधार पर उच्च शिक्षा पर सभे के अध्कार ह।

शिक्षा आदिमी के व्यविष्ट के विकास में सहायक होखे के चाही तथा ऐसन होखे के चाही जे लोगीन के मन में मानवाधिकार आओर बुनियादी स्वतंत्राता के प्रति मान के भावना के मजबूत करें। शिक्षा सबे देश, जाति आओर धार्मिक समूह के बीच आपसी समझ-बूझ, सहनशीलता तथा भाइचारा और शांति के स्थापना खातिर संयुक्त राष्ट्रः के गतिविधि के बढ़ावे में भी सहायक होखे। माई-बाप लोगनि के आपन बच्चा खातिर सही शिक्षा चुने के अधिकार ह। अधिकार ह।

अनुच्छेद २७

स्विह के आपन समान के सांस्कृतिक कार्यंध्र में हिस्सा लेवे के तथा कला के आनंद उठावे के अधिकार वा संगे वैज्ञानिक प्रगति में भगीदार बने तथा फायदा उठावे के अधिकार वा। सविहें लोकनि के आपन वैज्ञानिक, साहित्यिक आओर कलात्मक कृति ने घीलखले वा, के नैतिक आओर भैतिक हित के संरक्षण के अधिकार वा।

अनुच्छेद 28

सविहें के इ घोषणा में निर्धारित अधिकार आओर आजादी के सामाजिक आओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पावे के अधिकार वा।

अनुच्छेद २९

सभे के आपन समुदाय के प्रति कध्य ह। नेकरा पूरा करे के बाद ही ओकर स्वतंत्रा और संपूर्ण विकास संभ हवे।

आपन अधिकार आओर आजादी के उपयोग कानून के सीमा के भीतर ही होखे के चाही ताकि हम दोसर के अधिकार और आजादी के भी उचित आदर कर सकी। एहि से एगो लोकतांत्रिक समाज में नैतिक, कानून और व्यवस्था और जन कल्याण के जरूरत के हम पूरा कर सकेली।

अनुच्छेद 30

ई घोषणा में लिखन कौनो अनुच्छेद के मतलब इ ना ह कि कौनो राज्य, समूह चाहे व्यवित कौनो ऐसन काज में शामिल होरत्रे चाहे कौनो ऐसन काम करे, जेकरा से ए में लिखन अधिकार और स्वतंत्राता नष्ट होरते।